फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भैराराम
जाति माली
निवासी मानपुर तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 10 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.09.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत किया गया था अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना आबूरोड़ के सी. आर. नं. 142 दिनांक 23.07.2020 में दिनॉक 23.07.2020 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का 8 प्लास्टिक ड्रम व 1 लोहे का ड्रम डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल से भरे हुए पाये गये। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई तो थानाधिकारी आबूरोड़ रिको जो इस मुकदमे के जांच अधिकारी है द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 2739 दिनांक 11.9.2020 का अवलोकन किया गया। परिवाद आज दिनांक 22.09.2020 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 22.07.2020 को वक्त 11.30 पी.एम. पर श्री प्रवीण कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त आबूपर्वत को जरिये दूरभाष श्री निर्मल खत्री उपनिरीक्षक ने सूचना दी कि टेलीफोन कॉलोनी मानपुर रोड़ आबूरोड़ में किशोर माली के प्लॉट में 8–9 ड्रम में डीजल अवैध रूप से इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस पर मन् वृत्ताधिकारी ने थानाधिकारी आबूरोड़ शहर श्री अनिल कुमार पु.नि. ने जरिये दूरभाष श्री किशनसिंह हैडकानि. नम्बर 530 मय अनुसंधान बॉक्स लेपटॉप व प्रिन्टर पहुंचने के निर्देश पर आबूरोड़ पहुंचे। जहां पर श्री अनिल कुमार पु.नि. थानाधिकारी आबूरोड़ शहर मय जाब्ता श्री वजाराम कानि. नम्बर 450 व [illegible] उपस्थित मिले। मौके पर प्लॉस्टिक के 8 ड्रम [illegible] लीटर क्षमता के व 1 लोहे का ड्रम 200 लीटर [illegible] व रिसाईकलिंग ऑयल भरा हुआ था।	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौके पर एक व्यक्ति भी उपस्थित मिला जिसने अपना नाम किशोर माली पुत्र श्री भैराराम जाति माली उम्र 22 साल निवासी टेलीफोन कॉलोनी आबूरोड़ होना बताया। श्री किशोर सिंह से उक्त ड्रमों में भरे हुए डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल के बारे में पूछा तो उसने अपने जेसीबी व ट्रेक्टरों में उपयोग हुए ड्रमों में डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल इकट्ठा करके रखना तथा स्वयं के उपयोग व अन्य ग्राहकों/ठेकेदारों को बेचना बताया। इस पर श्री किशोर सिंह से इतनी भारी मात्रा में डीजल व रियाईकलिंग ऑयल अपने कब्जे में रखने के संबंध में लाईसेंस व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाईसेंस व अनुज्ञान पत्र नहीं होना बताया।

मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री किशोर माली के समक्ष प्लॉट की तलाशी लेने पर उसमें 8 ड्रम प्लास्टिक के व 1 ड्रम लोहे का जिनमें 3 प्लास्टिक के ड्रमों में से दो ड्रम 200–200 क्षमता के पूर्ण भरे हुए व तीसरा ड्रम फूटा होने के कारण आधा भरा हुआ था जिसमें करीब 100 लीटर रिसाईकलिंग ऑयल भरा हुआ था तथा शेष 5 प्लास्टिक ड्रमों व 1 लोहे के ड्रम में डीजल भरा हुआ था जिनमें तीन प्लास्टिक के ड्रम व 1 लोहे का ड्रम 200–200 क्षमता के पूरे भरे हुए थे एवं दो प्लास्टिक के ड्रम आधे भरे हुए थे। को कब्जे पुलिस लिया गया। जो 5–6 रूपये मुनाफे में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 3/7 का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 dh SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल व सरकार पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने निजी उपयोग के लिए डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल खरीदा है, जिसके पास में बिल वगैरह थे पुलिस द्वारा अवैध रूप से उसके प्लॉट जॉच की तो उसमें 8 ड्रम प्लास्टिक के व 1 ड्रम लोहे का जिनमें 3 प्लास्टिक के ड्रमों में से दो ड्रम 200–200 क्षमता के पूर्ण भरे हुए व तीसरा ड्रम फूटा होने के कारण आधा भरा हुआ था जिसमें करीब 100 लीटर रिसाईकलिंग ऑयल भरा हुआ था तथा शेष 5 प्लास्टिक ड्रमों व 1 लोहे के ड्रम में डीजल भरा हुआ था जिनमें तीन प्लास्टिक के ड्रम व 1 लोहे का ड्रम 200–200 क्षमता के पूरे भरे हुए थे एवं दो प्लास्टिक के ड्रम आधे भरे हुए थे को कब्जे सरकार लिया गया। प्रार्थी डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल का एक मात्र स्वामी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

डीजल एवं रिसाईकलिंग ऑयल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल एवं रिसाईकलिंग

Scanned with CamScanner

ऑयल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :–

Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

अतः डीजल एवं रिसाईकलिंग ऑयल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्री अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त प्लॉट में लाया गया था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है । ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस आबूपर्वत द्वारा थाना आबूरोड़ रिको के मुकदमा संख्या 142 दिनांक 23.07.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में डीजल व रिसाईकलिंग ऑयल से भरे हुए 8 ड्रम प्लास्टिक के व 1 ड्रम लोहे को कब्जे सरकार लिया गया है। मौके पर उपस्थित श्री किशोर माली से पूछताछ में बताया गया है कि वह प्रतिदिन 100–200 लीटर डीजल नेशनल हाइवे पर स्थित हिंगलाज होटल के मालिक से 6 रूपये के सस्ते भाव में खरीदकर 5–6 रूपये के मुनाफे में बेचता है एवं उसी होटल के मालिक से रिसाईकलिंग ऑयल खरीदकर 4–5 रूपये के मुनाफे में छुटकर टेक्सी, टेम्पो व अन्य वाहन चालकों को बेचता है। एवं श्री किशोर सिंह ने बताया है कि हिंगलाज होटल का मालिक रिसाईकलिंग ऑयल को जोधपुर के पास स्थित कांकाणी होटल से सस्ते भाव में खरीदता है, जिस स्थान को वह साथ चलकर बताने को भी तैयार है। अतः डीजल एवं रिसाईकलिंग ऑयल को उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी [illegible] बहस [illegible] मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना आबूरोड़ के [illegible] क्रमांक 142 दिनांक 23.07.2020 एवं प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन [illegible] का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूँ कि पुलिस [illegible] 8 ड्रम प्लास्टिक के व 1 ड्रम लोहे का जिनमें 3 प्लास्टिक के ड्रमों में से दो ड्रम 200–200 क्षमता के पूर्ण भरे हुए व तीसरा ड्रम फूटा होने के कारण आधा भरा हुआ था जिसमें करीब 100 लीटर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

रिसाईकलिंग ऑयल भरा हुआ था तथा शेष 5 प्लास्टिक ड्रमों व 1 लोहे के ड्रम में डीजल भरा हुआ था जिनमें तीन प्लास्टिक के ड्रम व 1 लोहे का ड्रम 200–200 क्षमता के पूरे भरे हुए थे एवं दो प्लास्टिक के ड्रम आधे भरे हुए थे। को कब्जे पुलिस लिया जाकर मौके पर उपस्थित व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत बिल संख्या 77371 दिनांक 20.7.2020, 77396 दिनांक 21.7.2020 एवं 77395 दिनांक 21.7.2020 श्री सुन्धा माता पेट्रोलियम जसवन्तपुरा से क्रय किया जाना बताया गया एवं रिसाईकलिंग ऑयल 700 लीटर विष्णु ट्रेडर्स पीपाड सिटी जिला जोधपुर से बिल नम्बर 419 दिनांक 19.7.2020 से क्रय करना बताया गया है एवं यह बताया गया है कि उक्त डीजल एवं रिसाईकलिंग का उपयोग वह अपने वाहनों में उपयोग करने के लिये करता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वाहन की आर.सी. वगैरह प्रस्तुत नहीं किये गये है। पुलिस द्वारा कब्जे लिये गये डीजल एवं रिसाईकलिंग ऑयल मानपुर स्थित स्थान से जसवन्तपुरा करीबन 110 किमी. दूर एवं पीपाड सिटी करीब 300 किमी. दूर है जबकि मानपुर में ही पेट्रोल पम्प स्थित है जिसकी दूरी कब्जे सरकार लिये गये स्थान से मात्र 200–300 फीट है। इस प्रकार यह माना जाना कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त डीजल निजी उपयोग हेतु जसवन्तपुरा एवं पीपाड़सिटी से क्रय किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत काशीराम बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर दिनांक 11.9.2019 को पारित निर्णय में निजी उपयोग हेतु 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ परमिशेबल बताया गया है, किन्तु बिना वैध अनुज्ञा पत्र के कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग से भिन्न कार्य हेतु पेट्रोलियम पदार्थ का भंण्डाराण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना आबूरोड़ शहर मामले में अग्रिम अनुसंधान पूरा कराकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं पकडे गये पेट्रोलियम पदार्थ के निस्तारण के संबंध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner